उत्तर प्रदेश शासन

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2

संख्या-2/2015/28ए/इक्कीस-उर्दू-2/2015(170(21)/2005)

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भाषा विभाग की अनुदान संख्या-39-के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-2015 में उर्दू की प्रवीणता परीक्षा के संचालन हेतु लेखाशीर्षक -2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-05-भाषा विकास-102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्वर्द्धन-06-राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से स्वीकृत रू0 2,50,000/- में से रू0 76979/- के वास्तविक व्यय के उपरान्त अवशेष रू0-173021/- (रू0 एक लाख तिहत्तर हजार इक्कीस मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु एतद्द्वारा समर्पित की जाती है।

(शाहिद अली)

अनु सचिव (भाषा)

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

संख्या-ई-7-368/दस-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रू0-173021/- (रू0 एक लाख तिहत्तर हजार इक्कीस मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्र्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से

(अरूण कुमार दुबे)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/28ए/इक्कीस-उर्दू-2/2015(170(21)/2005) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी इलाहाबाद।

3- शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4 सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

5- उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शाहिद अली)

अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in